जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

13 मार्च 2024

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में नये आपराधिक और डेटा संरक्षण कानूनों पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि संकाय ने डायनमिक लीगल एनवायरनमेंट की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा और विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से "नेविगेटिंग द कोम्प्लेक्सीटीज़ इन क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन इन अडेप्टिंग टू द डायनेमिक्स ऑफ़ द न्यू क्रिमिनल एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज़" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।

गोलमेज सम्मेलन का आयोजन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के हालिया अधिनियमन और तीन नए कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, के माध्यम से इसकी आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि में किया गया था। भारत ने डिजिटल युग में डेटा संरक्षण और आपराधिक कानून की जटिलताओं को संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत श्री शिवम कुमार जादौन और सुश्री ज़ुबिया रेहान द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई, जिन्होंने पैनलिस्टों का परिचय दिया। संकाय के प्रो बोनो क्लब के छात्रों ने उन्हें प्रतीक के रूप में पौधे भेंट किए। मुख्य वक्तव्य विधि संकाय के डीन, प्रो. (डॉ.) कहकशां वाई. दानियल द्वारा दिया गया, जिन्होंने इसके बाद होने वाली व्यावहारिक चर्चाओं के लिए माहौल तैयार किया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कानून, प्रौद्योगिकी और समाज के अंतर्संबंध पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करना था- एक चर्चा जो परिचय के मद्देनजर हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता और नए आपराधिक और डेटा संरक्षण कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण है। ।

पैनलिस्टों में से एक, यूएसएलएलएस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उपमा गौतम के अनुसार, बीएनएसएस द्वारा पुलिस को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं। नए कानूनों के लागू होने से और अधिक भ्रम बढ़ेगा, जिससे वकीलों और कुछ हितधारकों को लाभ होगा, इस घटना को उन्होंने 'अपराध की अर्थव्यवस्था' कहा था।

एक अन्य पैनलिस्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी. पुनीत ने डेटा संरक्षण कानूनों के संदर्भ में गोपनीयता और राज्य की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने संवैधानिक कानून न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है' के स्थापित सिद्धांत को दोहराया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) श्री ओम प्रकाश व्यास ने पीड़ित-केंद्रित आपराधिक न्याय प्रशासन के महत्व को रेखांकित किया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने पीड़ित-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए एनएचआरसी की भूमिका का उल्लेख किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील, संजय वशिष्ठ ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में संदेह व्यक्त किया, क्योंकि इससे न्यायाधीशों और वकीलों के बीच पुराने और नए दोनों कानूनों से एक साथ निपटने में बहुत भ्रम पैदा होगा और सुझाव दिया कि कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए।

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के रिसर्च फेलो सैयद मो. हारून ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मामलों में हिरासत की प्रक्रिया के संबंध में तकनीकी चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जालसाजी को रोकने के लिए मेटाडेटा, वॉटरमार्क, हैश डेटा या हैश वैल्यू के उपयोग को शामिल करने का सुझाव दिया, दुर्भाग्य से डीपीडीपी अधिनियम इस संबंध में विस्तृत सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है।

अंत में, प्रोफेसर असद मलिक ने अपने बहुमूल्य इनपुट दिए और सत्र को बहुत सटीक तरीके से सारांशित किया। इसके बाद दर्शकों के साथ प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ। आकर्षक सत्र का संचालन जामिया के विधि संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुभ्रदीप्त सरकार ने किया। प्रो. फैजानुर रहमान और डॉ. अलीशा खातून ने विधि संकाय के समर्पित छात्रों के साथ इस बौद्धिक रूप से प्रेरक सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहयोगात्मक प्रयास ने जीवंत कानूनी प्रवचन को बढ़ावा देने के प्रति जेएमआई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
अंत में, श्री शिवम और सुश्री ज़ुबिया ने हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन सत्र का कुशलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें जामिया के विधि संकाय के प्रोफेसरों द्वारा सम्मानित पैनलिस्टों को स्मृति चिन्ह की प्रस्तुति भी शामिल थी।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया